वित्त मंत्री
भारत
नई दिल्ली - 110001
FINANCE MINISTER
INDIA
NEW DELHI - 110001

प्रस्तावना

शासन में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयास को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2009-10 के बजट में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाने वाली एक विवरणिका संग्रहित की गई है।

मुझे, इस विवरणिका को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

(प्रणब मुखर्जी)

विषय सूची

क्रम सं	पैरा सं. (2009-10 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
1	12	राज्य वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व परामर्श	1
2	17	आईआईएफसीएल में अधिक नम्यता	1
3	18	'वित्त पोषण प्राप्त करना' योजना को तैयार करना	1
4	19	अवसंरचना में सरकारी निवेश को बढ़ाना	1
5	20	अवसंरचना क्षेत्र हेतु पर्याप्त निधियां	2
6	22	शहरी अवसंरचना	2
7	25	गैस हाईवे हेतु ब्लू प्रिन्ट	4
8	27	कृषि के लिए ऋण प्रवाह	4
9	28	किसानों के लिए ऋण राहत	4
10	29	किसानों को ऋण माफी योजना हेतु कार्यदल	5
11	31(क) से (घ)	निर्यातकों को सहायता	5
	31(ड.)	प्रिन्ट मीडिया को सहायता पैकेज	6
12	34	उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी व्यवस्था	7
13	35	पैट्रोलियम उत्पादों का मूल्य-निर्धारण	7
14	36	आयकर विवरणी प्रपत्रों का सरलीकरण	7
15	37	सार्वजनिक क्षेत्र ईकाइयों के विनिवेश में जन-सहभागिता	8
16	39	सूचीबद्ध कंपनियों में गैर-प्रवर्तनकारी सरकारी शेयरधारिता की प्रारंभिक सीमा बढ़ाना	8
17	41	बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार	8
18	46(i)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	9
	46(ii)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	9
	46(iii) व (iv)	भारत निर्माण	10
19	47	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	11
20	48	महिला स्व-सहायता समूह	11
21	49	राष्ट्रीय महिला कोष	11
22	50	राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन	12
23	51	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	13
24	52	कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों हेतु ऋण	13
25	54	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के और अधिक परिसरों की स्थापना	13
26	55	असंगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण	13
27	56	रोजगार कार्यालयों का आधुनिकीकरण	14
28	57	हथकरघा हेतु अधिक मेगा-कलस्टरों की स्थापना	15
29	60	पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन	15

क्रम सं	पैरा सं. (2009-10 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
30	62	आईसीएफआरई, बीएसआई, जेडएसआई और जीएसआई को अनुदान	16
31	64	भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना	17
32	65	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	17
33	66	सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण	17
34	67	केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों हेतु आवास	18
35	68	भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन	18
36	69	उच्चतर शिक्षा हेतु संवर्धित आवंटन	19
37	70	पंजाब विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र हेतु आवंटन	20
38	72	आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास और श्रीलंका का पुनर्निर्माण	20
39	73	चक्रवात "आइला" द्वारा क्षतिग्रस्त अवसंरचना का पुनर्निर्माण	20
40	80	कर नीतियों में सुधार	21
41	82	प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों में संरचनात्मक परिवर्तन	21
42	83	प्रत्यक्ष कर कोड	21
43	84	प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर संबंधी अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरणों का विलय	22
44	85	वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना	22
45	135	माल परिवहन एजेंटों को राहत	22

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1	12	शेष विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए एकीकरण ने नए अवसरों के साथ-साथ नई चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं। इसने उच्च संवृद्धि को बनाए रखने के कार्य को अधिक जटिल बना दिया है। पिछले एक माह के दौरान, हमने अल्पावधिक आर्थिक पुनःरुत्थान तथा मध्यावधिक आर्थिक वृद्धि दोनों में सरकार के प्रयासों का समालोचनात्मक मूल्यांकन किया है। आर्थिक पुनःरुत्थान और वृद्धि, केद्र और राज्य सरकारों का एक सामूहिक प्रयास है। अतः इस बजट की तैयारियों के भाग के रूप में, मैंने पहली बार राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। मैं हर वर्ष ऐसा करना चाहता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	वित्त मंत्री ने 2010-11 के बजट पूर्व विचार-विमर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत 13.01.2010 को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक आयोजित की। **कार्रवाई पूर्ण**
2	17	**अवसंरचना विकास** हमने अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घावधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में भारत अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) का गठन किया था। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कम्पनी को अपना अधिदेश उचित ढंग से पूरा करने के लिए अधिक नम्यता प्रदान की जाए। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) नामक विशेष प्रयोजन साधन के माध्यम से कार्यक्षम अवसंरचनागत परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना में समय-समय पर संशोधन किया गया है ताकि उसे अधिक नम्यता प्रदान की जा सके । जब भी आवश्यकता होती है, मामले को एसआईएफटीआई में संशोधन के लिए सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है । **कार्यक्रम जारी**
3	18	"वित्तपोषण प्राप्त करना" अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दीर्घावधिक निधियां जारी करने की एक स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया है। इसका प्रयोग अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण से उत्पन्न वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति देयता बेमेलता का प्रभावशाली ढंग से समाधान करने में किया जा सकेगा और इससे नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूंजी भी सहज उपलब्ध होगी। आईआईएफसीएल बैंकों के साथ परामर्श करके "वित्तपोषण प्राप्त करने" की योजना बनाएगा जो अवसंरचना क्षेत्र को वृद्धिकारी उधार देना सुसाध्य बनाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	क्रिसिल रिस्क एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस (क्रिस) को "वित्त पोषण प्राप्त करना योजना" पर मसौदा रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया था । उनकी रिपोर्ट आईआईएफसीएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दी गई है । योजना आयोग और आर्थिक कार्य विभाग के अभिमत प्राप्त करने के पश्चात, इस मामले पर सशक्त समिति द्वारा 7.1.2010 को विचार किया गया है । सशक्त समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं । **कार्य प्रगति पर**
4	19	सरकार को दूरसंचार, विद्युत उत्पादन, हवाई-अड्डों, बन्दरगाहों, सड़कों जैसे अनेक अवसंरचना सेक्टरों में और यहां तक कि सरकारी-निजी भागीदारी के	आईआईएफसीएल ने 31 मार्च, 2009 तक 10,000 करोड़ रुपए के कर मुक्त बांड जुटाए हैं । इससे लगभग 25,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं का वित्त पोषण हो सकेगा ।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		माध्यम से रेलवे में भी निजी निवेश आकर्षित करने में कुछ सफलता मिली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अवसंरचना परियोजनाओं को मौजूदा मंदी से उत्पन्न वित्तपोषण संबंधी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, जैसा मैंने अपने अंतरिम बजट भाषण में इंगित किया था, सरकार ने निर्णय लिया है कि आईआईएफसीएल अगले पंद्रह से अठारह महीने के दौरान महत्वपूर्ण सेक्टरों में सरकारी-निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों के 60 प्रतिशत का पुनर्वित्तपोषण करेगा। आईआईएफसीएल और बैंक अब अवसंरचना में 100 हजार करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली परियोजनाओं की सहायता करने की स्थिति में हैं। इन उपायों के साथ हम अवसंरचना में सरकारी निवेश बढ़ाना आरंभ कर रहे हैं। इससे ऐसे निवेश को काफी बढ़ावा मिलेगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	आईआईएफसीएल, मौजूदा वर्ष में जुटाई गई निधियां कारगर तरीके से प्रयुक्त करने के बाद, कर मुक्त बांडों के जरिए 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटा सकता है । इन उपायों से अगले 18 महीनों में प्रतिस्पर्धी दरों पर अवसरंचना क्षेत्र में 1,00,000 करोड़ रुपए की सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं में मदद मिलेगी । हालांकि, अवसंरचना क्षेत्र में पुनर्वित्त पोषण वाले बैंकों के उधारों की व्यवस्था करने के लिए आईआईएफसीएल के प्रथम प्रोत्साहन पैकेज के तहत जुटाई जाने हेतु अधिदेशित 10,000 करोड़ रुपए की राशि अप्रयुक्त ही है । इसके उपयोग में तेजी लाने के लिए, पुनर्वित्त पोषण स्कीम में कुछ परिवर्तनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है । 30,000 करोड़ रुपए (अब 25,000 करोड़ रुपए) जुटाए जाने के संबंध में, दूसरे प्रोत्साहन पैकेज में यह उल्लेख किया गया था कि मौजूदा वर्ष के दौरान जुटाई गई निधियां एक बार कारगर तरीके से प्रयुक्त करने के बाद यह राशि जुटाई जाएगी । इस पर कार्रवाई तभी की जा सकती है जब आईआईएफसीएल द्वारा पहले ही जुटाई गई 10,000 करोड़ रुपए की राशि प्रयुक्त कर ली जाए । **कार्यक्रम जारी**
5	20	अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अवसरंचना में निवेश महत्वपूर्ण है। मैंने केंद्र और राज्य सरकारों में अपने सहयोगियों से आग्रह किया है कि आधारभूत संरचना की परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए नीतिगत, विनियामक और संस्थागत अड़चनें दूर करें। मैं अपनी ओर से यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	अवसंरचना वित्त पोषण संबंधी सिफारिशों की जांच करने और एक समन्वयन तंत्र के रूप में काम करने के लिए 27 जुलाई, 2009 के आदेश द्वारा वित्त सचिव की अध्यक्षता में अवसंरचना वित्त संबंधी स्थायी समित गठित की गई है जिसमें संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा विनियामक अभिकरणों के प्रतिनिधि शामिल हैं और अवसंरचना का विकास करने वाले और बैंक/वित्तीय संस्थाएं बारी-बारी के आधार पर शामिल हैं । इस स्थायी समिति की पहली बैठक 8 सितम्बर, 2009 को आयोजित की गई थी । तदनंतर, स्थायी समिति की अगली बैठक की पृष्ठभूमि के रूप में, बीमा कंपनियों, इक्विटी निधि प्रबंधकों, पेंशन और अधिवर्षिता निधि नियामकों के साथ चार हितधारक बैठकें हुई थीं । हितधारकों के परामर्शों के आधार पर, "बीमा कंपनियों द्वारा अनुमोदित निवेश", "अवसंरचना में निजी इक्विटी प्रवाह", "अवसंरचना में पेंशन निधि निवेश" और "अवसंरचना ऋणों का प्रतिभूति वर्गीकरण" के संबंध में स्थायी समिति के सदस्यों को चार संकल्पना नोट परिचालित किए गए हैं । यह एक सतत प्रक्रिया है । **कार्यक्रम जारी**
6	22	**शहरी अवसंरचना** जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी अवसंरचना के महत्व पर राज्य सरकारों का ध्यान पुनःकेंद्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इस मिशन की भूमिका को मान्यता देते हुए, मौजूदा बजट में इस योजना के लिए आवंटन 87 प्रतिशत बढ़ाकर 12,887 करोड़ रुपये किया जा रहा है। शहरी गरीबों की हालत सुधारने के लिए शहरी गरीबों को आवास और मूलभूत	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तथा छोटे और मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के शहरी अवसंरचना और अभिशासन (यूआईजी) घटक के लिए 2009-10 का बजट अनुमान 9035.18 करोड़ रुपए है । यूआईजी के लिए बजट अनुमान 5960.13 करोड़ रुपए है । यूआईडीएसएसएमटी के लिए बजट अनुमान 3082.82 करोड़ रुपए है । वर्ष 2009-10 के दौरान यूआईजी के अंतर्गत 8589.28 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत से 54 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं ।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु, मैं मौजूदा वर्ष के बजट आवंटन को बढ़ाकर 3973 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं। इसमें राजीव आवास योजना नामक नई योजना के लिए प्रावधान है। इस योजना की घोषणा भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में की थी। इस स्कीम के मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। इसका आशय पांच वर्ष की अवधि में देश को मलिन बस्ती मुक्त बनाना है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : शहरी विकास मंत्रालय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)	एसीए के रूप में 3601.03 करोड़ रुपए की राशि की वचनबद्धता की गई है और परियोजनाओं के लिए 2833.33 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है । एसीए के लिए 2857.26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिसमें परियोजनाओं, बसों, सामुदायिक सहभागिता निधि के लिए जारी राशि भी शामिल है। सरकार ने अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति की 10.12.2009 को हुई बैठक में, अन्य बातों के अलावा, यूआईजी के अंतर्गत जीएनसीटीडी की 24 चल रही और अन्य परियोजनाओं का निधिपोषण अनुमोदित किया। यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत, जारी करने हेतु वचनबद्ध एसीए 634.63 करोड़ रुपए और जारी एसीए 41.36 करोड़ रुपए है। योजना आयोग/वित्त मंत्रालय द्वारा अब तक यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत आवंटन बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है । मंत्रालय के राष्ट्रीय संचालन समूह की 24.11.09 को हुई बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और यह निर्णय लिया गया था कि बचे हुए शामिल न किए गए जिलों के लिए यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए आंवटन की व्यवस्था हेतु योजना आयोग से आग्रह किया जाए । इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। परियोजनाएं अनुमोदित करना और उनके लिए निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। अधिकांश शहरी गरीबों का जीवन-स्तर सुधारने के बारे में, बजट अनुमान 3,973 करोड़ रुपए का ब्यौरा इस प्रकार है : (i) बीएसयूपी - 2,524.65 करोड़ रुपए; (ii) आईएचएसडीपी - 1117.58 करोड़ रुपए ; (iii) राजीव आवास योजना - 150 करोड़ रुपए; और (iv) आईएसएचयूपी - 180.59 करोड़ रुपए। 15.1.2010 की स्थिति के अनुसार, जारी करने के लिए 1896.01 करोड़ रुपए (बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत 1895.60 करोड़ रुपए और आईएचएसयूपी के अंतर्गत 0.41 करोड़ रुपए) अनुमोदित किए गए हैं । इसमें से, 1201.76 करोड़ रुपए (बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत 1201.35 करोड़ रुपए तथा आईएसएसयूपी के अंतर्गत 0.41 करोड़ रुपए) जारी किए गए हैं; बीएसयूपी और आईएचएसडीपी के अंतर्गत जारी किए जाने के लिए, 326.90 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है; 367.47 करोड़ रुपए (बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी के अंतर्गत 367.36 करोड़ रुपए और आईएसएचयूपी के अंतर्गत 0.11 करोड़ रुपए) आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के विचाराधीन है। **राजीव आवास योजना (आरएवाई):** राजीव आवास योजना के अंतर्गत आरंभिक कार्य करने के लिए, व्यय वित्त समिति ने 120 करोड़ रुपए का अनुमोदन दे दिया है ताकि जीआई मैपिंग और शहर के मलिन बस्ती संबंधी आंकडे प्राप्त किए जा सकें तथा मलिन बस्ती मुक्त स्थिति के लिए राज्य की कार्य-योजना तैयार की जा सके । प्रस्तावित राजीव आवास योजना के दिशानिर्देशों का प्रारूप राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/योजना आयोग/केन्द्रीय मंत्रालयों इत्यादि को परिचालित किया जा चुका है। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने राज्यों, शहरों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर लिया है। योजना आयोग इत्यादि के साथ परामर्श किया गया है । व्यय वित्त समिति संबंधी ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है । **कार्यक्रम जारी**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
7	25	**गैस** हाल में देश के पूर्वी तट पर कृष्णा-गोदावरी थाले में मिली प्राकृतिक गैस से ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभर रही इस गैस का घरेलू उत्पादन दोगुना होना निश्चित है। देश में द्रवित प्राकृतिक गैस (एलएनजी) अवसंरचना का भी विस्तार किया जा रहा है। सरकार लंबी दूरी के गैस हाइवे के लिए एक खाका तैयार करने का प्रस्ताव करती है जिससे प्राकृतिक गैस ग्रिड का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे देश के कोने-कोने में गैस ले जाना आसान होगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को मंत्रिमंडल टिप्पणी का मसौदा परिचालित किया गया है । इसमें राष्ट्रीय गैस राजमार्ग विकास प्राधिकरण स्थापित करने तथा इसके बाद राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस ग्रिड प्रबंधन केन्द्र (एनसीएनजीएम) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि पाइपलाइन ग्रिड, जो प्रस्तावित प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करेगा, के जरिए प्राकृतिक गैस का उचित निर्धारण और प्रेषण किया जा सके । इस संबंध में अभिमत प्राप्त हो गए हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है। **कार्य प्रगति पर**
8	27	कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है। हमारी 60 प्रतिशत जनसंख्या इससे अपना आहार प्राप्त करती है। अभी हाल में, इस क्षेत्र में आयोजना आवंटन और पूंजी निर्माण में पर्याप्त वृद्धि से, इस क्षेत्र ने लगभग 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। 2008-09 में कृषि ऋण प्रवाह 2,87,000 करोड़ रुपये था। 2009-10 के लिए कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 3,25,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मैं 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज-दर पर प्रति किसान 3 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए किसानों को अल्पावधिक फसल ऋणों हेतु ब्याज सहायता योजना जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष के लिए सरकार उन किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 1 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता देगी जो अपने अल्पावधिक फसल ऋणों की अदायगी निर्धारित समय पर कर देते हैं। इस प्रकार, इन किसानों के लिए ब्याज दर कम होकर 6 प्रतिशत वार्षिक हो जाएगी। मैं, इसके लिए, अन्तरिम ब.अ. की तुलना में 411 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान कर रहा हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्ष्य पूरा हो सके, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के साथ त्रैमासिक अंतराल पर कृषि ऋण प्रवाह को मॉनीटर किया जा रहा है । ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता जारी रखने हेतु बजटीय आवश्यकता के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन सितम्बर, 2009 में ले लिया गया था। अतिरिक्त ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के संबंध में आदेश भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड और सभी संबंधित पक्षों को 08.10.2009 को जारी किए गए । मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू कर दिया गया है । कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य को पाने के लिए प्रगति को मॉनीटर किया जा रहा है । **कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण/ प्रगति पर नज़र रखी जा रही है।**
9	28	**किसानों के लिए ऋण राहत अनुमानतः** 40 मिलियन किसानों को समाविष्ट करते हुए लगभग 71,000 करोड़ रुपये की एक बारगी बैंक ऋण माफी पिछले बजट की मुख्य विशेषताओं की एक विशेषता थी। कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (2008) के अंतर्गत, दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को अपने अतिदेयों के 75% की अदायगी करने के लिए 30 जून, 2009 तक का समय दिया गया था। मानसून के विलंब से आने के	सरकार ने कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना के अंतर्गत एकबारगी निपटान स्कीम के तहत अन्य किसानों द्वारा उनके अतिदेय भाग के 75% की अदायगी की अवधि को दिनांक 08.07.2009 के आदेशों के तहत 01.07.2009 से और छह माह बढ़ा कर 31.12.2009 कर दिया है । **कार्रवाई पूर्ण**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		कारण, मैं इस अवधि को 31 दिसंबर, 2009 तक छः महीने बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	
10	29	यह पता लगा है कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में बड़ी संख्या में किसानों ने निजी ऋणदाताओं से ऋण ले रखे हैं और ऋण माफी योजना में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मुद्दे की व्यापक पड़ताल करने और भावी कार्ययोजना का सुझाव देने के लिए, मैं एक कार्यदल के गठन का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	विभाग ने दिनांक 14.09.2009 के पत्र के द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग को एक कार्यदल बनाने की सलाह दी थी। यह एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि समग्र रूप से पूरे देश के संबंध में अपनी रिपोर्ट देगा । इस घोषणा के मद्देनज़र, कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा दिनांक 06.10.2009 के उनके आदेश के तहत एक कार्यदल गठित किया गया है । **कार्रवाई पूर्ण**
11	31	**निर्यात वृद्धि की पुनः प्राप्ति** हमारे निर्यातकों ने, वैदेशिक क्षेत्र में अपने संबंधों के बल पर, वैश्विक आर्थिक संकट के आवेश को बरदाश्त कर लिया है। अतः यह उचित होगा कि हम अपने निर्यातकों को अल्पावधिक प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलने में सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखें। यह विशिष्ट रूप से इस प्रकार होगी : (क) बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों को 95 प्रतिशत वर्धित निर्यात ऋण और गारंटी निगम (ईसीजीसी) कवर प्रदान करने हेतु दिसम्बर, 2008 में समायोजन सहायता योजना शुरू की गयी थी जिससे कि निर्यातकों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके। निर्यात में जारी संकुचन के मद्देनजर, मैं इस योजना के फायदों को मार्च 2010 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वाणिज्य विभाग)	इस स्कीम को 11.9.2009 को जारी अधिसूचना के तहत 31 मार्च, 2010 तक बढ़ा दिया गया है और इस समय, इसे कार्यान्वित किया जा रहा है । **कार्रवाई पूर्ण**
		(ख) बाजार विकास सहायता योजना विकासशील नए बाजारों में निर्यातकों को सहायता प्रदान करती है। कई पारम्परिक बाजारों के अभी भी वित्तीय दबाव में होने के मद्देनजर, नए बाजारों को पहचानने और विकसित करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं इस योजना के लिए ब.अ. 2008-09 की तुलना में 148 प्रतिशत की वृद्धिकर के 124 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः वाणिज्य विभाग)	'वित्त मंत्रालय ने, बाद में, स्पष्ट किया कि प्रस्तावित वृद्धि, बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के अंर्तगत की गई थी, जो इस स्कीम के लिए ब0अ0 2009-10 में भी प्रतिबिंबित होती है । तथापि, संशो0अनु0 2009-10 में आबंटन घटा कर 64 करोड़ रुपए किया गया है । यह स्कीम क्रियान्वित की जा रही है तथा 2009-10(28.1.2010 की स्थिति के अनुसार) के दौरान, 154 परियोजनाओं तथा अध्ययनों को अनुमोदित किया गया है। अभी तक 61.07 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। **कार्य प्रगति पर**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	(ग)	वैश्विक मंदी से रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्र को मदद करने के उद्देश्य से, सरकार ने सात ऐसे क्षेत्रों के लिए लदान-पूर्व ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज संबंधी आर्थिक सहायत प्रदान की थी। इन क्षेत्रों में हथकरघा सहित कपड़ा, हस्तशिल्प, कालीन, चमड़ा, रत्न और आभूषण, समुद्री उंपाद और लघु एवं मध्यम निर्यातक शामिल हैं। मैं ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता की 30 सितम्बर, 2009 की मौजूदा समय सीमा को 31 मार्च, 2010 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वाणिज्य विभाग)	भारतीय रिजर्व बैंक को 800 करोड़ रुपए की राशि पहले ही तीन किस्तों में जारी की जा चुकी है । बाद में, ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के तहत और 450 करोड़ रुपए के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त किया गया था, जिसमें से 200 करोड़ रुपए 2009-10 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में आबंटित किए गए हैं । निधियां, जरूरी पुनर्विनियोग आदेश प्राप्त होने पर, जारी की जाएंगी । **कार्य प्रगति पर**
	(घ)	अतिलघु, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई) पर निर्यात में हुई मंदी का प्रभाव पड़ा है और घरेलू मांग पर वैश्विक संकट का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इस क्षेत्र को सहायता प्रदान के लिए, मैं ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को एक विशेष निधि प्रदान कर उचित ब्याज दरों पर ऋण प्रवाह को आसान बनाने का प्रस्ताव करता हूं। अतिलघु और लघु उद्यमों (एमएसई) को ऋण प्रदान करने के लिए, 4,000 करोड़ रुपए की यह निधि बैंकों और राज्य वित्त निगमों (एसएफसी) को प्रोत्साहित करेगी और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसई को 50 प्रतिशत वृद्धिकारी उधार प्रदान करने को पुनःवित्तपोषित किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है । लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने विभिन्न बैंकों से अब तक 3200 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं । सिडबी ने, 31 जनवरी, 2010 तक, 10 बैंकों को कुल मिलाकर 3505 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं। **कार्य प्रगति पर**
	(ड)	फरवरी, 2009 में, प्रिंट मीडिया को प्रोत्साहन पैकेज दिया गया जिसके तहत डीएवीपी विज्ञापनों पर 15 प्रतिशत एजेन्सी कमीशन की माफी और गैर सरकारी विज्ञापनों में राजस्व हानि के दस्तावेजी प्रमाण देने पर विशेष राहत के रूप में अदा की जाने वाली डीएवीपी दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई। चूंकि प्रिंट मीडिया अभी भी कठिन दौर से गुजर रहा है, अतः मैंने प्रोत्साहन पैकेज को 30 जून, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक और छः माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : सूचना व प्रसारण मंत्रालय)	यह पैकेज प्रिंट मीडिया को 30 जून, 2009 से आगे 31 दिसम्बर, 2009 तक देने के लिए आदेश 09.07.2009 को जारी कर दिए दिए गए हैं । **कार्रवाई पूर्ण**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
12	34	**उर्वरक सब्सिडी** राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में, देश में वर्धित उर्वरक उपयोग से कृषि उत्पादकता में गिरावट चिंता का विषय है। उर्वरकों का संतुलित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए, सरकार का इरादा मौजूदा उंपाद मूल्य निर्धारण व्यवस्था के बजाए पोषण आधारित सब्सिडी व्यवस्था लाने का है। इससे बाजार में उचित कीमतों पर नवीन उर्वरक उंपादों की उपलब्धता होगी। उर्वरक विनिर्माण क्षेत्र को नियंत्रण-मुक्त करने से, इस क्षेत्र में नए निवेशों की संभावना बढ़ेगी। उचित समय पर, किसानों को सब्सिडी के सीधे अंतरण की प्रणाली अपनाने का भी इरादा है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : उर्वरक विभाग)	पोषण आधारित सब्सिडी का प्रस्ताव विचाराधीन है । प्रस्तावित पोषण आधारित सब्सिडी नीति पर राज्य सरकारों तथा उद्योग जगत के विचार जानने हेतु उनके साथ विचार-विमर्श किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित पोषण आधारित सब्सिडी नीति की जांच करने तथा उर्वरक सब्सिडी के संवितरण को युक्तिसंगत बनाने के उपायों की जांच के लिए एक मंत्री-समूह गठित किया गया है। यह मामला मंत्री-समूह के विचाराधीन है । समूह से यह अपेक्षित है कि वह उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा स्वदेशी उद्योग के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सिफारिश करें । मंत्री-समूह की पहली बैठक 20 जनवरी, 2010 को आयोजित हुई थी। **कार्य प्रगति पर**
13	35	**पेट्रोलियम और डीजल की मूल्य निर्धारण नीति** अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों को यह पता है कि तेल और पेट्रोलियम उंपादों के वैश्विक मूल्य वर्ष 2008-09 में अप्रत्याशित स्तरों तक बढ़ गए थे। हमारे पड़ोसी देशों सहित अधिकांश तेल आयातक देशों ने इन वैश्विक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने घरेलू मूल्यों को समायोजित कर लिया। यद्यपि तब से मूल्यों में गिरावट आ गई है, फिर भी ये, मूल्य वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात् के निम्न स्तरों के लगभग दुगने हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारी तीन चौथाई तेल खपत की पूर्ति आयात से की जाती है, अतः पेट्रोल और डीजल के घरेलू मूल्य मोटे तौर पर इन वस्तुओं के वैश्विक मूल्यों के अनुरूप करने होंगे। सरकार पेट्रोलियम उंपादों के मूल्य निर्धारण की व्यवहार्य और टिकाऊ प्रणाली के संबंध में सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करेगी। इसका ब्यौरा मेरे साथी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा घोषित किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	पैट्रोलियम उत्पादों आदि के मूल्य-निर्धारण की व्यवहार्य और सुस्थिर प्रणाली के संबंध में सलाह देने के लिए, योजना आयोग के पूर्व सदस्य डा0 किरीट पारिख की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। **कार्रवाई पूर्ण**
14	36	**कराधान** अब समय आ गया है कि हम उस प्रक्रिया को पूरा करें जिसे 1991 में विश्वास आधारित, सरल, निष्पक्ष कर प्रणाली के निर्माण के लिए शुरू किया गया था जिसमें प्रायः कोई छूट नहीं थी और दरें कम थीं और जिसकी रूपरेखा स्वैच्छिक अनुपालन के लिए तैयार की गई थी। आयकर विवरणी प्रपत्र सरल और प्रयोक्ता अनुकूल होना चाहिए। मैंने विभाग से, सरल-ii प्रपत्रों को शीघ्र प्रारंभ करने संबंधी कार्य करने के लिए कहा है। हमें एक ऐसी कर प्रणाली	नया प्रत्यक्ष कर कोड 12 अगस्त, 2009 को जारी किया गया। सरल-।। तथा कुछ अन्य प्रपत्रों के संशोधन का कार्य चल रहा है तथा यह कार्य मौजूदा वर्ष की आय कर विवरणी भरने की नियत तारीख (जुलाई, 2010 के आसपास) से काफी पहले पूरा कर लिया जाएगा । बेंगलुरु स्थित केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग केन्द्र (सीपीसी) ने कार्य करना शुरू कर दिया है । नए प्रत्यक्ष कर कोड में कुछ और सुधारों का प्रस्ताव है । **कार्य प्रगति पर**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		की आवश्यकता है जो, बलपूर्वक कर संग्रहण प्रविधि का उपयोग किए बिना ही, प्रत्येक वर्ष के अंत में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्थायी आधार पर राजस्व का सृजन करे। मेरी अभिलाषा मौजूदा वर्ष में इस दिशा में संतुलित शुरुआत करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि यह प्रक्रिया आगामी चार वर्षों में पूरी कर ली जाए। इस प्रक्रिया के अंत में, मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री विश्वास के साथ यह कह सकते हैं कि हमारे कर संग्राहक मधुमक्खियों की तरह हैं जो फूलों की शांति भंग किए बगैर, उनसे मधुरस का संग्रहण करते हैं परन्तु उनके पराग को फैलाते है जिससे कि सभी फूल खिलें और फल उत्पन्न करें। (नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग)	
15	37	**सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर जनता का स्वामित्व** सरकारी क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की सम्पत्ति हैं और इस धन का भाग जनता के हाथ में रहना चाहिए। हमारे उद्यमों में कम से कम 51 प्रतिशत सरकारी इक्विटी प्रतिधारित करते हुए, मैं अपने विनिवेश कार्यक्रम में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। यहां, स्पष्ट रूप से मेरा यह कहना है कि बैंक तथा बीमा कंपनियों जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्यम सरकारी क्षेत्र में ही रहेंगे। उन्हें विकसित होने तथा प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए पूंजी प्रोत्साहन सहित सभी प्रकार की सहायता दी जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : विनिवेश विभाग)	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा विनिवेश के संबंध में एक नीतिगत टिप्पणी का अनुमोदन 05.11.2009 को किया गया है । केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों(सीपीएसई) का विनिवेश अब इस नीति के अनुसार किया जाएगा । **कार्रवाई पूर्ण**
16	39	भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों में औसत सरकारी निर्गम 15 प्रतिशत से कम है। गहन गैर-छलसाधनीय बाजारों के लिए अपेक्षाकृत अधिक और विविधीकृत शेयरधारिता की आवश्यकता है। यह शर्त एक समान रूप से निजी क्षेत्र तथा सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी लागू होनी चाहिए। मैं चरणबद्ध तरीके से, सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए गैर-प्रर्वतनकारी सरकारी शेयरधारिता की प्रारंभिक सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : आर्थिक कार्य विभाग)	इस बजट घोषणा को कार्यान्वित करने के तौर-तरीकों का अनुमोदन वित्त मंत्री द्वारा 18.12.2009 को किया गया है । अधिसूचना का मसौदा सेबी के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। **कार्य प्रगति पर**
17	41	देश में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के बावजूद, अब भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें या तो आवश्यकता से कम बैंक हैं या हैं ही नहीं । राज्य स्तरीय	राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के अनुसार, देश में बैंक-रहित ब्लॉकों की कुल संख्या, आरंभ में 129 होने की सूचना थी । उपलब्ध कराई गई अद्यतन सूचना के अनुसार, यह संख्या

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		बैंकिंग समिति की उप-समिति ऐसे क्षेत्रों का पता लगाएगी और आगामी 3 वर्षों में इन सभी क्षेत्रों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के निमित्त कार्य योजना तैयार करेगी। मैं, देश के प्रत्येक बैंक रहित ब्लॉक में बैंकिंग सेवा के लिए कम से कम एक केद्र/बिक्री केद्र की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा वर्ष के दौरान एक बारगी सहायता अनुदान के रूप में 100 करोड़ रुपए निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	घट कर 99 रह गई है । संबंधित राज्य सरकारों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बैंक-रहित ब्लॉकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं, पूर्वात्तर क्षेत्र को छोड़कर 31.12.2009 तक तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में 31.03.2010 तक खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं । उन क्षेत्रों में जहां ईंट, सीमेंट से बनी पक्की शाखा तत्काल स्थापित नहीं की जा सकती हो, राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों से बैंकिंग सुविधाओं को बिजनेस कोरसपोंडेंट मॉडल अथवा अन्य वैकल्पिक तकनीकों के माध्यम से प्रदान करने का अनुरोध किया गया है । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से इन बैंक-रहित ब्लॉकों में बैंक शाखा खोलने/बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित करने के लिए उनकी तरफ से बुनियादी सुविधा मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है । प्रत्येक माह के अंत में बैंक-रहित ब्लॉकों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है । **कार्यक्रम जारी**
18	46	***राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस)***	
	(i)	यह सर्वविदित है कि फरवरी 2006 से पहली बार कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) बेहद सफल रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान, नरेगा द्वारा 2007-08 में शामिल किए गए 3.39 करोड़ परिवारों की तुलना में. 4.47 करोड़ से भी अधिक परिवारों को रोजगार अवसर प्रदान किए गए। हम नरेगा के तहत हकदारी के रूप में प्रतिदिन 100 रुपए की वास्तविक मजदूरी देने के लिए वचनबद्ध हैं। नरेगा के अधीन आस्तियों की उांपादकता एवं संसाधन बढ़ाने के लिए कृषि, वानिकी, जल संसाधन, भू-संसाधन और ग्रामीण सड़कों से संबंधित अन्य स्कीमों को एक केद्राभिमुख लाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। पहली अवस्था में, ऐसे केद्राभिमुख के लिए कुल 115 प्रायोगिक जिलों को चुना गया है। इन उपायों और केद्राभिमुखता के दिशानिर्देशों का ब्यौरा मेरे साथी, ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिया जाएगा। मैं नरेगा के निमित्त वर्ष 2009-10 के लिए 39,100 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। यह बजट अनुमान 2008-09 की तुलना में 144 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : ग्रामीण विकास विभाग)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत मजदूरी दर की समीक्षा के लिए मजदूरी नीति को वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया गया है । इस नीति के बारे में राज्यों के साथ पहले ही विचार-विमर्श कर लिया गया है। राज्य सरकारों के लंबित प्रस्तावों और नई मजदूरी नीति के अनुसार मजदूरी दर संशोधित करने वाली अधिसूचना 15.12.2009 तथा 04.01.2010 को जारी की गई है । उड़ीसा राज्य की मजदूरी दर में संशोधन करने के लिए अनुरोध विचाराधीन है । कृषि, वनों, जल संसाधनों, भू-संसाधनों तथा ग्रामीण सड़कों के लिए संयुक्त समाभिरूपता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। **कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण**
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)	
	(ii)	मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधी कार्य ईमानदारीपूर्वक शुरू किया गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला प्रत्येक	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) अधिनियम बनाने के संबंध में अहम नीतिगत मुद्दों पर संकल्पना नोट राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों को उनके विचार जानने के लिए जून, 2009 में परिचालित किया गया था । 31 राज्यों से ये प्राप्त हो गए हैं और जांच की

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		परिवार 3 रुपए प्रति किलो की दर से प्रति माह 25 किलो चावल या गेहूं के लिए कानूनी रूप से हकदार होगा। सरकार सार्वजनिक परिचर्चा तथा परामर्श के लिए बहुत जल्दी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की वेबसाइट पर खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा रखना चाहती है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)	जा रही है । ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों और योजना आयोग के प्रतिनिधियों के साथ 11.06.2009 को बैठक की गई थी तथा एक अन्य बैठक कृषि, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालयों, पेय जल आपूर्ति विभाग तथा योजना आयोग के साथ 01.07.2009 को आयोजित की गई थी । कुछ मंत्रालयों से अभिमत प्राप्त हो गए हैं और अन्य से अभी प्रतीक्षित हैं । एक सशक्त मंत्री समूह (ईजीओएम) गठित किया गया है। इसने निदेश दिया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी सीमा रेखा से नीचे वाले (बीपीएल) परिवारों की पहचान करने के लिए कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दे । **कार्य प्रगति पर**
		भारत निर्माण	
	(iii)	भारत निर्माण, अपनी छह योजनाओं के साथ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अन्तर को पाटने तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने की ओर एक महत्वपूर्ण पहल है। मैं भारत निर्माण के लिए 2008-09 के बजट अनुमान की तुलना में 2009-10 में 45 प्रतिशत अधिक आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत निर्माण के अंतर्गत इसके सफल कार्यक्रमों में से एक है। मैं इस कार्यक्रम के लिए यह आबंटन, बजट अनुमान 2008-09 की तुलना में 59 प्रतिशत बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए भी 7000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। यह 2008-09 (ब.अ.) की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : ग्रामीण विकास विभाग विद्युत मंत्रालय)	उपकर, बजटीय सहायता तथा ईएपी घटक से, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए, वर्तमान वर्ष 2009-10 के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया है। इसके अलावा, नाबार्ड की आरआईडीएफ विंडो से ऋण के रूप में 6,500 करोड़ रुपए आहरित किए जाने हैं । बजटीय आबंटन के लिए, भारत निर्माण के अंतर्गत 30,000 कि0मी0 लंबाई के नए सड़क संपर्क के साथ 13,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए सभी मौसमों के अनुकूल सड़क संपर्क उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है । इसके अतिरिक्त, खेतों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए, 25,000 कि0मी0 लंबी मौजूदा ग्रामीण सड़कों का स्तरोन्नयन करने का लक्ष्य रखा गया है । 15 जनवरी, 2010 तक, नाबार्ड की आरआईडीएफ विंडो से प्राप्त ऋण को मिलाकर राज्यों को 13,781.13 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । **कार्य प्रगति पर** **राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना** के लिए बजट अनुमान 2009-10 7000 करोड़ रुपये का है। 15.1.2010 की स्थिति के अनुसार, 4000.26 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। वर्ष 2009-10 (15.1.2010 की स्थिति के अनुसार) के दौरान, 10081 अविद्युतीकृत गांवों (लक्ष्य का 57.60%) को विद्युतीकृत किया गया और गरीबी सीमा रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 35.06 लाख परिवारों (लक्ष्य का 74.60%) को बिजली के कनेक्शन दिए गए। कुल मिलाकर, 15.1.2010 तक, कुल 69,963 अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत किया गया तथा गरीबी सीमा रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 88.84 लाख परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। **कार्यक्रम जारी**
	(iv)	इंदिरा आवास योजना के लिए बजट अनुमान 2009-10 में आबंटन को 63 प्रतिशत बढ़ाकर 8800 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण आवास निर्माण की गति में तेजी लाने के लिए, मैं वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने में	पिछले वर्ष के बजट अनुमानों की तुलना में, ग्रामीण आवास के लिए आवंटन मौजूदा वित्त वर्ष में 63% बढ़ा दिया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 40.52 लाख मकानों के निर्माण के लिए केंद्रीय आवंटन 8800.00 करोड़ रुपये है। इसमें, वर्ष 2008-09 की समाप्ति पर प्रोत्साहन पैकेज में से

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		आयी कमी से राष्ट्रीय आवास बैंक में ग्रामीण आवास निधि के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। यह ग्रामीण आवास के क्षेत्र में राष्ट्रीय आवास बोर्ड के संसाधन आधार को उनके पुनर्वित्तपोषण कार्यों के लिए मजबूती प्रदान करेगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : ग्रामीण विकास विभाग वित्तीय सेवा विभाग)	जारी की गई 2428.49 करोड़ रुपये की राशि के लिए नियत किया गया लक्ष्य भी शामिल है। 31 दिसंबर, 2009 तक सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 5846.30 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी कर दी गई। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अब तक 15.67 लाख मकान बना लिए गए हैं और 27.15 लाख मकानों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 करोड़ रुपये की कार्पस निधि से वर्ष 2009-10 के लिए ग्रामीण आवास निधि स्थापित की है और इस निधि के लिए बैंकवार आवंटन इंगित किए गए हैं। 31.1.2010 की स्थिति के अनुसार, बैंकों द्वारा 1007.80 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी और राष्ट्रीय आवास बैंक ने राष्ट्रीय आवास निधि के अंतर्गत 808.94 करोड़ रुपये की राशि वितरित कर दी थी। **कार्यक्रम जारी**
19	47	**कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण** *स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना* को राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के रूप में सुव्यवस्थित किया जा रहा है ताकि यह 2014-15 तक सभी के लिए लागू हो और गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण में ध्यान देकर समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। महिला स्व-सहायता समूह के निर्माण पर बल दिया जाएगा। वर्धित दर पर पूंजी सब्सिडी मुहैया कराने के अलावा, बैंकों से लिए गए एक लाख रुपए तक के ऋणों के लिए गरीब परिवारों को ब्याज सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : ग्रामीण विकास विभाग)	राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनः व्यवस्थित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, व्यय वित्त समिति की बैठक 22.5.2009 को आयोजित की गई। व्यय वित्त समिति ने यह प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियां/ विचार प्राप्त हो गए हैं और मंत्रिमंडल की टिप्पणी का संशोधित प्रारूप आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। **कार्य प्रगति पर**
20	48	*महिला स्व-सहायता समूह* अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा है। आज लगभग 22 लाख ऐसे समूह बैंकों से संबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य आगामी पांच वर्षों में भारत की सभी ग्रामीण महिलाओं के कम से कम 50 प्रतिशत स्व-सहायता समूह के सदस्यों के रूप में पंजीकृत करना और इन स्व-सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ना है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : वित्तीय सेवा विभाग)	31 मार्च, 2008 की स्थिति के अनुसार, 36.26 लाख स्व सहायता समूहों को बैंकों के साथ जोड़ा गया। इनकी 16,999.91 करोड़ रुपये की क्रेडिट संबद्धता है। इनमें से महिला स्व सहायता समूह 29.17 लाख (80.40%) और इनकी ऋण संबद्धता 13,335.61 करोड़ रुपये की है। ऋण संबद्धता के लिए क्षमता का विश्लेषण करने के आधार पर, 2009-10 के लिए 11.29 लाख स्व सहायता समूहों की ऋण संबद्धता का लक्ष्य बनाया गया है। आशा है कि इनमें से लगभग 9 लाख स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूहों के होंगे। नाबार्ड के माध्यम से प्रगति की मानीटरी की जा रही है। **कार्यक्रम जारी**
21	49	*राष्ट्रीय महिला कोष गरीब* महिलाओं को ऋण सहायता या अतिरिक्त वित्तपोषण सुकर बनाने के लिए कार्य करता रहा है । उनके फायदे के लिए इसने अनेक नवीन योजनाएं बनायी हैं। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के साधन के रूप में इस कोष की वर्तमान 100	ढांचे की सिफारिश करने के लिए एक उप दल गठित किया गया है। इस ढांचे को राष्ट्रीय महिला कोष की पुनर्संरचना और विस्तार के लिए लागू किया जाना चाहिए। इस उप दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। प्रस्ताव यह है कि इस राष्ट्रीय महिला कोष को सोसाइटी से एक नॉन-डिपाजिट टेकिंग, नान-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में बदल दिया जाए। इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		करोड़ रुपए की मूल निधि को आगामी पांच वर्षों में बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)	अंतरिम अवधि में, राष्ट्रीय महिला कोष को उसके कार्यकलापों और जन शक्ति का विस्तार करके एक सोसाइटी के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। वर्ष 2010-11 के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया जा रहा है। **कार्य प्रगति पर**
22	50	**महिला साक्षरता** महिला साक्षरता का निम्न स्तर गंभीर चिन्ता का विषय बना हुआ है। अतः राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया गया है, जिससे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य उपेक्षित वर्गों पर ध्यान दिया जा सके। इसका लक्ष्य तीन वर्षों में महिला साक्षरता के मौजूदा स्तर को कम करके आधा करना है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग)	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन फिर से बनाया गया है जिसमें मुख्य जोर महिला साक्षरता पर दिए जाने की बात की गई है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया परिवर्तित नाम "साक्षर भारत" की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (8.9.2009) के अवसर पर की गई है। साक्षर भारत के अंतर्गत, देश के ऐसे 365 जिलों को शामिल किया जाएगा जिनमें प्रौढ़ महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत या इससे कम है। यह मिशन, प्रौढ़ शिक्षा - मुख्यतः महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा के व्यापक अवसर प्रदान करेगा जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सुविधा-वंचित वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों पर ध्यान दिया जाएगा। इस मिशन में 5257 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से, 26 राज्यों के 365 जिलों में 70 मिलियन व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा के लिए शामिल किए जाने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, पहुंच, साम्यता, गुणवत्ता और सुशासन पर बल दिया जाएगा। पहुंच सुनिश्चित करने हेतु, दो समन्वयकों वाला एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को समावेशी बनाने के लिए, लक्षित लाभार्थियों के 70 मिलियन यानी कम से कम 85% महिलाएं, 20% अनुसूचित जाति, 11% अनुसूचित जनजाति और 17% अल्पसंख्यकों के व्यक्ति होंगे। इसे सहभागी बनाने के लिए, सबसे निचले स्तर पर ग्रामीण पंचायतें क्रियान्वयन एजेंसियां होंगी। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, इस योजना में बुनियादी पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क, उच्च गुणवत्ता पठन-पाठन सामग्री, उन्नत गुणवत्ता वाले साक्षरता शिक्षक, मूल्यांकन और प्रमाणन, नई शिक्षण प्रौद्योगिकियां, साक्षर परिवेश का संवर्धन और पर्याप्त संसाधन सहायता की व्यवस्था है। "समय पर" निधियां जारी करना सुकर बनाने हेतु वेब आधारित लेखा प्रणाली के अतिरिक्त, एक सुदृढ़ समीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली भी तैयार की गई है जिससे कि क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और संगठनात्मक कार्यक्षमता लाई जा सके। कार्यक्रम संबंधी लागत भारत सरकार और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में बांटी जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में यह लागत 90:10 के अनुपात में बांटी जाएगी। 31 दिसंबर, 2009 तक, जो सरकार के निर्णय के छः महीने के अंदर है, यह मिशन 19 राज्यों के 167 जिलों में शुरू किया गया है जिसमें 2524 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय से, 81000 से अधिक ग्राम पंचायतों में 3.82 करोड़ निरक्षरों (लगभग 80% प्रौढ़ महिला निरक्षरों सहित) को शामिल किया गया है। 31.3.2010 तक की अवधि शामिल करने के लिए, प्रथम किस्त के रूप में 306 करोड़ रुपये का भारत सरकार का हिस्सा स्वीकृत कर दिया गया है। इन जिलों में 3.82 करोड़ प्रौढ़ व्यक्ति लाभान्वित होंगे। **कार्यक्रम जारी**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
23	51	**एकीकृत बाल विकास सेवाएं** सरकार देश में एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के सार्वभौमिकीकरण के लिए वचनबद्ध है। मार्च 2012 तक, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत गुणवत्ता सहित सभी सेवाएं छह वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रदान की जाएंगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना पूरे देश में लागू की गई है। आशा है कि सभी स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र वित्त वर्ष 2010-11 की समाप्ति तक पूरी तरह कार्य करने लगेंगे। **कार्यक्रम जारी/प्रगति की समीक्षा की जा रही है**
24	52	**कमजोर वर्ग के छात्रों को ऋण** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्चतर शिक्षा हासिल करने में समर्थ बनाने के लिए, ऋण स्थगन अवधि के दौरान उन्हें पूरी ब्याज सब्सिडी मुहैया कराने की योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इसमें भारत में मान्यताप्राप्त संस्थानों से तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में किसी भी अनुमोदित पाठयक्रम के अध्ययन हेतु ऐसे छात्रों द्वारा अनुसूचित बैंकों से लिए गए ऋण शामिल होंगे। अनुमान है कि इससे 5 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। (नोडल मंत्रालय/विभाग : उच्चतर शिक्षा विभाग)	भारत में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन के लिए भारतीय बैंक एसोसिएशन की शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों द्वारा लिए गए ऋणों पर उन्हें ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की यह योजना आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा 27.08.2009 को स्वीकृत की गई है। इंडियन बैंक एसोसिएशन, मुम्बई के अध्यक्ष से 8.9.2009 को यह अनुरोध किया गया है कि वह इस नई योजना के बारे में सभी सदस्य अनुसूचित बैंकों को सूचित कर दें तथा इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें। **कार्रवाई पूर्ण**
25	54	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद तथा केरल में मल्लपुरम में अपने कैंपस स्थापित करने का निर्णय लिया है। मैं इन दोनों कैंपसों को 25-25 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : उच्चतर शिक्षा विभाग)	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति से अनुरोध किया गया है कि वे व्यवहार्यता रिपोर्ट सहित स्थल विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करें तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी स्थिति से भी अवगत कराएं। विश्वविद्यालय ने 16.12.2009 को यह बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार फरक्का बैराज परियोजना से संबंधित 200 एकड़ की भूमि को राज्य सरकार को फिर से अंतरित करने का अनुरोध कर रही है जिससे कि उसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को दिया जा सके। जल संसाधन मंत्रालय से भी इस भूमि संबंधी अंतरण पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। केरल राज्य सरकार ने मलप्पुरम जिले में पेरिनथाल्मना स्थित 392 एकड़ भूमि चिह्नित की है। तथापि, यह भूमि विश्वविद्यालय को अभी दी जानी है। **कार्रवाई अंशतः पूर्ण**
26	55	**असंगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण** हमारी अर्थव्यवस्था का असंगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार का 92% हिस्सा है और यह हमारी श्रम शक्ति में होने वाली वार्षिक बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 अब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है। मैनें यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू की है कि बुनकरों, मछुआरों तथा महिलाओं, ताड़ी निकालने वालों, चमड़ा तथा हस्तशिल्प कामगारों, बागान मजदूरों, निर्माण	असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 दिसंबर, 2008 में अधिनियमित किया गया था और नियम 2009 में बने थे। यह अधिनियम 16.5.2009 से लागू हुआ है। इस अधिनियम में सामाजिक राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के गठन की व्यवस्था किए जाने का उल्लेख है। यह बोर्ड समय-समय पर असंगठित कर्मकारों/असंगठित कर्मकारों की श्रेणियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने की सिफारिश करेगा। यह राष्ट्रीय बोर्ड 18.8.2009 को गठित किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्राप्त होने वाले फायदे अन्य असंगठित कर्मकारों के लिए प्रदान करने

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		कार्य में लगे मजदूरों, खनन में लगे मजदूरों, बीड़ी कामगारों तथा रिक्शा चालकों जैसे रोजगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित की जाएं। इन योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय आबंटन किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)	तथा इन कर्मकारों के लिए अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाने पर विचार करने हेतु 23.9.2009 और 7.01.2010 को इसकी दो बैठकें हुईं। बोर्ड ने अपनी दूसरी बैठक में यह सिफारिश की कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, अर्थात - स्वास्थ्य और मातृत्व प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मृत्यु एवं विकलांगता बीमा रक्षा आवरण प्रदान करने वाली जनश्री बीमा योजना तथा वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के फायदे, भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों, नरेगा कामगारों, आशा कामगारों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों, पोर्टरों, कुलियों/गैंगमैनों और अनियत एवं दैनिक भोगियों को दिए जाएं, जैसा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उमा देवी प्रकरण में परिभाषित किया गया है। असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (5 सदस्यों की एक इकाई) के लिए 30,000 रुपये सालाना का स्मार्ट कार्ड आधारित नकदी-रहित स्वास्थ्य बीमा रक्षा आवरण प्रदान करने हेतु, "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" 1 अक्तूबर, 2007 को शुरू की गई थी। यह योजना 1.4.2008 से प्रभावी हुई। 27.1.2010 की स्थिति के अनुसार, 26 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इन 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से, 22 राज्यों नामतः असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल ने स्मार्ट कार्ड जारी करने शुरू कर दिए हैं। 1.04 करोड़ से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। **कार्यक्रम जारी**
27	56	**रोजगार कार्यालय** मैं सरकारी निजी भागीदारी में रोजगार कार्यालयों के आधुनिकीकरण की एक नई परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि रोजगार चाहने वाला कहीं से भी ऑन लाईन पंजीकरण कर सके तथा किसी भी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सके। इस परियोजना के तहत, साझा सॉफ्टवेयर के साथ एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसमें एक ओर कुशल व्यक्तियों की उपलब्धता के संबंध में, वहीं दूसरी ओर उद्योग के पास कुशल व्यक्तियों की मांग संबंधी संपूर्ण डाटा होगा। इससे युवकों को रोजगार पाने में मदद मिलेगी और उद्योग वास्तविक समय आधार पर जरूरी कुशल कारीगर प्राप्त कर सकेगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)	जॉब चाहने वाले और नियोक्ताओं (संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र) के लिए रोजगार संबंधी सेवाओं और जानकारी को शीघ्र एवं आसानी से उपलब्ध कराने में, रोजगार कार्यालय मिशन मोड परियोजना से मदद मिलेगी तथा रोजगार कार्यालय आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। इस परियोजना के निर्माण और विकास के लिए प्रधान परामर्शदाता के रूप में राष्ट्रीय स्मार्ट अभिशासन संस्थान को नियुक्त किया गया है। इस परियोजना की घोषणा के पश्चात, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है तथा योजना आयोग से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित कर दी है। श्रम और रोजगार मंत्री ने 8 अक्तूबर, 2009 को इस परियोजना की समीक्षा की तथा इस परियोजना को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित करने के बजाय, पूरे भारत में एक साथ कार्यान्वित करने का सुझाव दिया। कार्यान्वयन नीति को अंतिम रूप देने के लिए, रोजगार संबंधी कार्य देख रहे राज्यों के प्रधान सचिवों के साथ 18 दिसंबर, 2009 को एक बैठक आयोजित की गई। सचिव, श्रम और रोजगार ने कार्यान्वयन नीति को अंतिम रूप देने के लिए 30 दिसंबर, 2009 को एक बैठक ली। इस बैठक में हुए विचार विचार-विमर्शों के आधार पर, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्शदाताओं द्वारा संशोधित की गई और वह पिछले सप्ताह प्राप्त हुई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			जा रहा है और उस पर आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अगली कार्रवाई की जाएगी। कार्यान्वयन समय सीमा, अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात इस परियोजना के क्रियान्वयन की तिथि से, 22 महीने है। **कार्यक्रम जारी**
28	57	**हथकरघा** पिछले बजट में वाराणसी तथा शिवसागर में एक-एक क्लस्टर मेगा हथकरघा समूह और इरोड़ तथा भिवंडी में एक-एक मेगा बिजली करघा क्लस्टर अनुमोदित किए गए थे। इनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है। मैं पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में एक-एक हथकरघा मेगा समूह और राजस्थान में एक बिजली करघा मेगा समूह स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। इनसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वस्त्र उद्योग की शानदार परंपरा बनाए रखने तथा राजस्थान में हजारों रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, मैं श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) तथा मिर्जापुर (उत्तरप्रदेश) में कालीन उद्योग के लिए नए मेगा क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : कपड़ा मंत्रालय)	व्यय वित्त समिति ने सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 8.12.2009 को हुई अपनी बैठक में यह निदेश दिया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विचारार्थ उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए। क्लस्टर प्रबंधन और तकनीकी एजेंसियों की नियुक्ति की प्रक्रिया उन्नत स्तर पर है। ये नए घोषित 5 मेगा क्लस्टरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करेंगी। इच्छुक पार्टियों से तकनीकी/वित्तीय बोलियों के आधार पर, क्लस्टर प्रबंधन और तकनीकी एजेंसियों का चयन किया जा रहा है। **कार्यक्रम जारी**
29	60	**पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन** पिछले वर्ष जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ हुई थी। इसमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनने तथा हमारे विकास के पथ की पारिस्थितिकीय टिकाऊपन बढ़ाने की हमारी कार्यनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसरण में आठ राष्ट्रीय मिशनों की शुरूआत की जा रही है जिनमें बहु-आयामी, दीर्घावधिक तथा एकीकृत दृष्टिकोण होगा। मैं इन मिशनों के लिए आवश्यक निधियां देने का प्रस्ताव करता हूँ । (नोडल मंत्रालय/विभाग : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)	■ जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधान मंत्री की परिषद ने **जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन** का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जाएगा)। ■ जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधान मंत्री की परिषद ने **राष्ट्रीय वर्द्धित ऊर्जा दक्षता मिशन** का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। इसे 1 अप्रैल, 2010 से कार्यान्वित किया जाएगा (विद्युत मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जाएगा)। ■ प्रधान मंत्री की परिषद ने **राष्ट्रीय सतत हिमालययी पारिस्थितिक तंत्र मिशन** के प्रारूप को सिद्धांततः 29 अक्तूबर, 2009 को अनुमोदित कर दिया है। ■ जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधान मंत्री की परिषद ने **राष्ट्रीय परिवर्तन संबंधी नीतिगत ज्ञान मिशन** के अंतिम प्रारूप पर 15 अक्तूबर, 2009 को विचार किया। ■ **राष्ट्रीय सतत हैबिटेट मिशन** के सबंध में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, **राष्ट्रीय जल मिशन** के संबंध में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा **राष्ट्रीय हरित भारत मिशन** के सबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तथा **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन** के संबंध में कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मिशन दस्तावेजों के अंतिम प्रारूप जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधान मंत्री की परिषद के विचाराधीन हैं। **कारवाई आंशिक रूप से पूर्ण**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
30	62	मैं भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद्, देहरादून को उनके द्वारा अनुसंधान, शिक्षा तथा विस्तार के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य को स्वीकारते हुए, 100 करोड़ रुपए का विशेष एकबारगी अनुदान देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण तथा भारतीय जीव विज्ञान सर्वेक्षण के लिए 15-15 करोड़ रुपए का भी प्रस्ताव करता हूं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के लिए 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का आबंटन किया जा रहा है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय खान मंत्रालय)	**भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद** अनन्य रूप से भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के लिए 100 करोड़ रुपये के एकबारगी अनुदान का उपयोग चरणबद्ध रूप में करने का प्रस्ताव है। इस परिप्रेक्ष्य में, एक नया ईएफसी तैयार किया गया है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। तदनुसार, एक करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2009-10 में तथा 80 करोड़ एवं 19 करोड़ रुपये की राशि क्रमशः वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उपयोग की जाएगी। **योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।** **भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण तथा भारतीय जीव विज्ञान सर्वेक्षण** वित्त मंत्रालय की सहमति के परिणामस्वरूप, उक्त अनुदान को दो वर्षों अर्थात 2009-10 और 2010-11 में उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण तथा भारतीय जीव विज्ञान सर्वेक्षण के लिए एसएफसी ज्ञापनों को संशोधित किया गया है तथा उन्हें इस मंत्रालय के समेकित वित्त प्रभाग के पास सहमति के लिए भेजा गया है। स्थाई वित्त समिति की बैठक भी शीघ्र होने जा रही है। **कार्रवाई आंशिक रूप से पूण** **भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण** भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के लिए 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि, संशोधित अनुमान 2009-10 की सीमाओं के अंदर बचतों से पूरी की जानी अपेक्षित है। इसे निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त किया जाएगाः <u>1:50000 पैमाने पर भूआकृति विज्ञान संबंधी मानचित्रण</u> - क्षेत्रों की डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग प्रयोगशालाओं के उन्नयन का समेकित प्रस्ताव 17.12.2009 को हुए अखिल भारतीय पीजीआरएस के छठे सम्मेलन में तैयार किया गया है। हुती-मस्की स्किस्ट बेल्ट, रायचूर जिला, कर्नाटक में हाइपरस्पैक्ट्रल रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग संबंधी प्रायोगिक अध्ययन के लिए, इंटरनेट से डाउन लोड किया गया लैंडसेट-टीएम एवं हाइपेरियन -I डाटा को संसाधित और निर्वचित किया गया है। फील्ड स्पेक्ट्रोमीटर की खरीद प्रक्रिया का कार्य चल रहा है। वित्त वर्ष 2009-10 में इन मदों पर 10.67 लाख रुपये का व्यय हुआ है। <u>1:50000 पैमाने पर इंटरनेट पर मानचित्र सेवा</u> - जीएसआई पोर्टल के फेज-III पर दूसरी संयुक्त बैठक जीएसआई और एनआईसी के मध्य लखनऊ में 15.12.2009 को आयोजित की गई। प्रारम्भिक आवश्यकता ढांचे पर आधारित अगले दौर की बैठकें जनवरी, 2010 में होने के पश्चात, आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने के लिए उत्तरवर्ती बैठक फरवरी, 2010 में आयोजित की जा सकती है। वित्त वर्ष 2009-10 में इस मद पर 18.51 लाख रुपये का व्यय किया गया है। <u>भूभौतिकी डाटा भंडार का सृजन</u> - देश में जीएसआई तथा अन्य भूभौतिकी डाटा जनरेटरों द्वारा तैयार की गई भूभौतिकी सूचना

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			रिपोर्टें संकलित की जा रही हैं। हैलीबोर्न जियोफिजिकल सेंसरों की खरीद के लिए, मैसर्स पीको एनवायरोटेक इनकार्पोरेशन, कनाडा से एक ग्रेवीमीटर प्राप्त हो गया है। वित्त वर्ष 2009-10 में इस मद पर 487.22 लाख रुपये का व्यय हुआ है। **कार्य प्रगति पर**
31	64	भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) स्थापित करना, सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के संबंध में अभिशासन बेहतर बनाने में एक बड़ा कदम है। यह परियोजना मेरे ह्रदय में वास करती है। यह जानकर मैं प्रसन्न हूं कि यह परियोजना एक ऐसे युग की शुरूआत कर रही है जहां भारत में निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति अत्यावश्यक राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आ रहे हैं। यह प्राधिकरण भारतीय निवासियों की पहचान तथा बायोमेट्रिक विवरणों का एक ऑन लाईन डाटाबेस स्थापित करेगा और देशभर में नामांकन और सत्यापन सेवाएं मुहैया कराएगा। अनन्य पहचान संस्थाओं की प्रथम श्रृंखला 12 से 18 महीनों में तैयार होगी। मैंने इस परियोजना के लिए 120 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव किया है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : योजना आयोग)	भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण द्वारा गठित डेमोग्रैफिक डाटा स्टैंडर्ड एवं वेरीफिकेशन प्रोसीजर समिति तथा बायोमीट्रिक स्टैंडर्ड समिति ने अपनी रिपोर्टें क्रमशः 9 दिसंबर, 2009 एवं 7 जनवरी 2010 को प्रस्तुत कर दी हैं। इन्हें स्वीकार कर लिया गया है। भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि चेहरे, सभी 10 उंगली छाप और आंख की पुतलियों के स्कैन एकत्रित कर लिए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवासियों को अनन्य संख्या दी जाती है। इन मानकों और प्रक्रियाओं से ऐसा आधार तैयार होगा जिस पर यह परियोजना तैयार और क्रियान्वित की जाएगी। भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों ने 20 राज्यों के दौरे किए हैं तथा वे अधिकांश मुख्य मंत्रियों और सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मिले हैं। इस कार्यनीति पर पूरे देश में माननीय संसद सदस्यों, विनियामकों, केंद्रीय मंत्रियों और सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। इस परियोजना के फेज-1 का प्रस्ताव 147 करोड़ रुपये की राशि के लिए व्यय वित्त समिति के समक्ष लाया गया है। उसे व्यय वित्त समिति द्वारा तथा वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। **कार्यक्रम जारी**
32	65	**राष्ट्रीय सुरक्षा** राज्यों में पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए अंतरिम बजट में किए गए 430 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव किया जा रहा है। सरकार ने अर्ध सैनिक बलों के कर्मियों के लिए रक्षा बलों के समतुल्य विशेष जोखिम/कठिनाई भत्ता भी स्वीकृत किया है। इन भत्तों के भुगतान संबंधी प्रावधान भी बजट में प्रस्तावित किए जा रहे हैं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : गृह मंत्रालय)	अधसैनिक बलों को विशेष जोखिम/ कठिनाई भत्ता देने संबंधी आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के लिए बजट अनुमान 2009-10 में 1250 करोड़ रुपये के आवंटन की कुल राशि उपलब्ध कराई गई है। आकस्मिकता आरक्षित निधि के रूप में 62.5 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित करने के पश्चात, 1187.50 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई है। राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत उपलब्ध 1187.50 करोड़ रुपये (एचएस/एचएम आरक्षित के सिवाय) के प्रावधान में से, 922.62 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न राज्य सरकारों को जारी की गई है। यह संपूर्ण आवंटित राशि इस वित्त वर्ष में उपयोग कर ली जाएगी। **कार्रवाई पूर्ण/कार्य प्रगति पर**
33	66	सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करने के लिए अंतरिम बजट में किए गए प्रावधानों के अलावा, 2,284 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़, सड़कें, फ्लड लाइटों के निर्माण हेतु प्रदान की जा रही है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय)	भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर, सरकार द्वारा स्वीकृत 3436 किलोमीटर की बाड़ लगाने एवं 4326 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कें बनाने के लक्ष्य में से, क्रमशः 2677 किलोमीटर बाड़ लगाने तथा 3330 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। हालांकि शेष किलोमीटर में बाड़ लगाने का कार्य मार्च, 2010 तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है, परन्तु जमीनी दिक्कतों के कारण यह कार्य अगले वर्ष में चले जाने की संभावना है। सीमावर्ती चौकियों और फ्लड लाइटों का निर्माण कार्य भारत-बांग्लादेश सीमा के निकट शुरू हो गया है। भारत-चीन सीमा क्षेत्र

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			के निकट 11 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है तथा 57.85 किलोमीटर में मिट्टी डालने संबंधी कार्य तथा 8.16 किलोमीटर में समतल करने संबंधी कार्य (सरफेसिंग वर्क्स) अब तक पूर्ण हुए हैं। तटीय सुरक्षा योजना के अधीन, तटवर्ती राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 56 अवरोधक नाव दी गई हैं। बजट अनुमान 2009-10 - 1932.99 करोड़ रुपए, संशोधित अनुमान 2009-10 - 1600.93 करोड़ रुपये में से, 1129.14 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस संपूर्ण आवंटित राशि को इस वित्त वर्ष में उपयोग कर लिया जाएगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण कार्य करने के लिए बीआरओ को गृह मंत्रालय द्वारा उप आवंटित 110.48 करोड़ रुपये की राशि में से, दिसंबर, 2009 तक 44.38 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। बीआरओ को आबंटित 1351.00 करोड़ रुपये की राशि के लिए अलग से कोई लेखा प्रक्रिया नहीं की जा रही है क्योंकि यह वर्ष 2009-10 के नियमित जीएस बजट का हिस्सा है। **कार्य प्रगति पर**
34	67	अर्ध सैनिक बलों की संख्या में काफी बढ़ोतरी की जा रही है। इसके लिए, खास तौर पर आवास के क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचना सृजित करने में अधिक निवेश की जरूरत होगी। इसलिए सरकार केंद्रीय अर्ध सैनिक बल कर्मियों के लिए 1 लाख निवास इकाइयों के सृजन के लिए आवास निर्माण का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती है। इससे न केवल इन बलों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि सरकार के वार्षिक बजटीय साधन भी बढ़ेंगे तथा एक नवीन वित्तपोषण मॉडल तैयार होगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : गृह मंत्रालय)	गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आवास-कमी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर एक आवास योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है जिससे कि इन बलों में आवास संतुष्टि स्तर को 25 प्रतिशत के प्राधिकृत स्तर तक सुधारा जा सके। वित्त मंत्रालय उक्त परियोजना के लिए तकनीकी और परामर्शी सहायता प्रदान कर रहा है। मैसर्स क्रिसिल ने प्रायोगिक आवास क्लस्टरों की अंतिम परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट और आएफक्यू प्रस्तुत किए हैं। गृह मंत्री के अनुमोदन के पश्चात, ये परियोजनाएं सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने एक ट्रांजेक्शन सलाहकार का चयन करने के लिए 15.1.2010 को बोलियां भी खोली हैं। इस प्रस्ताव की और जांच की जा रही है। **कार्य प्रगति पर**
35	68	**भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी)** हमारा देश अपने बहादूर भूतपूर्व सैनिकों की कृतज्ञता का बहुत ऋणी है। मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली ओआरओपी संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली की गई हैं। इन सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने आफिसर रैंक से नीचे (पीबीओआर) के रक्षा पेंशनरों की 1.1.2006 से पूर्व की पेंशन में पर्याप्त सुधार करने और 10.10.1997 से पहले के पेंशनरों को 10.10.1997 के बाद पेंशनरों के समकक्ष लाने का निर्णय लिया है। इन दोनों निर्णयों को 1 जुलाई, 2009 से कार्यान्वित किया जाएगा जिसके फलस्वरूप 12 लाख से अधिक जवानों और जेसीओ की पेंशन बढ़ जाएगी। इन उपायों से राजकोष पर 2100 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक भार पड़ेगा। उदारीकृत	निम्नलिखित आवश्यक आदेश जारी करके कार्रवाई पहले ही पूर्ण कर ली गई हैः ■ पेंशन के परिकलन के प्रयोजनार्थ वैचारिक आधार पर 1.1.2006 से वर्गीकरण भत्ते की वर्द्धित दर से गणना करना (जैसा पेंशन के निर्धारण के लिए एमएसपी परिकलन की दशा में किया गया)। ■ कमीशन प्राप्त अधिकारियों और सिविलियनों जो 1.1.2006 और 31.8.2008 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं, के मामले में 33 वर्षों की अर्हक सेवा को पूरी पेंशन से जोड़ने को 1.9.2008 के बजाए 1.1.2006 से हटाना। ■ लेफ्टिनेंट जनरल/ समतुल्य/ अपर सचिव और समकक्ष सिविलियन श्रेणियों के अधिकारियों के स्तर पर 1.1.2006 से पहले के और बाद के पेंशनरों की पेंशन संबंधी विसंगति दूर करना।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		पेंशन लाभों को युद्ध में घायल और अन्य विकलांग पेंशनरों को दिए जा रहे कतिपय पेंशन लाभों को भी उदारीकृत किया जा रहा है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)	■ 1.1.1996 से पहले के विकलांगता/ युद्ध में घायल हुए पेंशनरों के लिए विकलांगता/ युद्ध घायलता पेंशन की प्रतिशतता बढ़ाना। ■ श्रेणी ई से संबंधित विकलांग पेंशनरों की दशा में पेंशन के वार इंजुरी घटक पर उच्चतम सीमा हटाना। निम्नलिखित सरकारी आदेश जारी करने के लिए भी कार्रवाई चल रही हैः ■ 10.10.1997 के पहले के पीबीओआर पेंशनरों को 10.10.1997 के बाद के पीबीओआर पेंशनरों के समतुल्य लाना। ■ 1.1.2006 से पहले के और बाद वाले पीबीआर पेंशनरों के मध्य अंतर को कम करना। **कार्रवाई पूर्ण/ कार्य प्रगति पर**
36	69	**शिक्षा** भारत का जनसांख्यिकीय लाभ नौजवान लोगों के एक बड़े हिस्से के रूप में है जिसे उचित शिक्षा तथा दक्षता उपलब्ध कराकर गतिशील आर्थिक लाभ में परिणत किए जाने की आवश्यकता है। त्रआईसीटी *के जरिए शिक्षा मिशन'* नामक योजना में प्रावधान को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 900 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार, दक्षता विकास मिशन के अन्तर्गत पोलिटेक्निकों की स्थापना तथा उन्नयन के लिए प्रावधान को बढ़ाकर 495 करोड़ रुपए किया गया है। सरकार कवर न किए गए प्रत्येक राज्य में एक केद्रीय विश्व विद्यालय स्थापित करने की अपनी मंशा को आगे बढ़ाएगी। इस प्रयोजनार्थ, मैं 827 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहा हूँ। मैं आईआईटी और एनआईटी के लिए भी 2113 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहा हूँ जिसमें नए आईआईटी तथा एनआईटी के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। उच्च शिक्षा हेतु समग्र आयोजना बजट को अन्तरिम ब.अ. की तुलना में 2000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। (नोडल मंत्रालय/विभाग : उच्चतर शिक्षा विभाग)	आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की शुरुआत 3 फरवरी 2009 को की गई। 2009-10 के दौरान, 7 आईआईटी और आईआईएससी, बंगलोर को उनके क्षेत्रों में कार्यशाला आयोजित करने के लिए दो-दो लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है जिससे कि इस मिशन के उद्देश्यों और आवश्यकताओं का प्रचार-प्रसार किया जा सके तथा सहभागी अंशधारियों से परियोजना हेतु अनुरोध किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सक्षत पोर्टल के अंतर्गत जनशक्ति घटक के लिए राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को 28 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। बीएसएनएल को आदेश जारी किए गए हैं कि वह 100 दिन की कार्य योजना के मुताबिक, कम से कम 5000 कालेजों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के कार्य को आगे बढ़ाए। राष्ट्रीय शीर्ष समिति की पहली बैठक मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में 11 सितंबर, 2009 को आयोजित की गई। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत पॉलीटेक्निकों की स्थापना करने और उन्नयन के संबंध में, अब तक 430.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अधीन, शामिल न किए गए प्रत्येक राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने के संबंध में 12 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों और तीन अधिग्रहीत केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए 155 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 को जम्मू-कश्मीर राज्य में दो केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु संशोधित कर दिया गया है। इनमें से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर में और दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया संबंधी कार्य शुरू हो गया है। मंत्रिमंडल ने 17.9.2009 को हुई अपनी बैठक में 10 नए एनआईटी की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। नए आईआईटी के संबंध में, पटना (बिहार), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), राजस्थान, भुवनेश्वर (उड़ीसा), रोपड़ (पंजाब), गांधीनगर (गुजरात) मण्डी (हिमाचल प्रदेश) और इंदौर (मध्य प्रदेश) में स्थित नए आठ आइआईटी के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखा गया है। इनमें से पहले छः आईआईटी ने 2008-09 में तथा बाद वाले दो ने 2009-10 में अपने शैक्षिक सत्र शुरू कर दिए हैं। नए आईआईटी के लिए 200.78 करोड़ रुपये की राशि तथा सात पुराने आईआईटी के लिए अब तक 590.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। **कार्यक्रम जारी**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
37	70	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पंजाब तथा हरियाणा की राजधानी है। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में सुविधाओं में सुधार की जरूरत है। इसलिए, मैं इस विश्वविद्यालय हेतु 50 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ। लोगों को बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने हेतु संघ राज्य प्रशासन को सक्षम बनाने के लिए, मैं मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान चंड़ीगढ़ हेतु आयोजना आवंटन में यथोचित वृद्धि का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : उच्चतर शिक्षा विभाग गृह मंत्रालय)	व्यय वित्त समिति ने पंजाब विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपये का विशिष्ट अनुदान देने के प्रस्ताव पर विचार किया है तथा विश्वविद्यलाय अनुदान आयोग ने वर्ष 2009-10 के लिए इस विश्वविद्यालय को 20 करोड़ रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में पहले ही मंजूर कर दी है। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए योजना आवंटन बढ़ाने के संबंध में, संशोधित अनुमान 2009-10 के लिए वित्त मंत्रालय से उच्चतम सीमा प्राप्त हो गई है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए योजना आवंटन संशोधित अनुमान 2009-10 में बढ़ाकर 449.22 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि बजट अनुमान 2009-10 में यह 319.22 करोड़ रुपये था। 193 करोड़ रुपये की निधियां जारी कर दी गई हैं। संपूर्ण आवंटित राशि का उपयोग इस वित्त वर्ष में किया जाएगा। **कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण/ कार्य प्रगति पर**
38	72	अध्यक्ष महोदया, सरकार *श्रीलंका के तमिलों* को श्रीलंका की प्रादेशिक सप्रभुता और उसके संविधान के अन्तर्गत उनके अधिकारों और वैध आकांक्षाओं को सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है। विदेश मंत्रालय श्रीलंका सरकार के साथ इस सम्बन्ध में निकट सम्पर्क बनाए हुए है। मैं आन्तरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास और श्रीलंका के उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों के पुनर्निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : विदेश मंत्रालय)	श्रीलंका को जनवरी, 2010 तक निम्नलिखित मानवीय सहायता प्रदान की गई हैः ■ खाद्य, कपड़े और आवश्यक वस्तुओं के 2,50,000 परिवार राहत पैक ■ 225 मिलियन श्रीलंकाई रुपये मूल्य की दवाइयां ■ पुलमोद्दई, श्रीलंका में भारतीय आपातकालीन फील्ड अस्पताल, जिसे बाद में मई, 2009 के अंत में मेनिक फार्म, वावुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया। 60 सदस्यीय डाक्टरों, अर्धचिकित्सकों और संबद्ध स्टाफ दल जिनके पास अपने स्वयं के उपकरण और दवाइयां थीं। छः महीने में 50,000 से अधिक आईडीपी रोगियों का इलाज किया गया। इनमें से ज्यादातर गंभीर चिकित्सा वाले मामले थे। ■ आईडी पेशेंट के लिए 3100 टन आश्रय सामग्री ■ उत्तरी श्रीलंका में मानवीय डिमाइनिंग आपरेशनों के लिए नियुक्त सात डिमाइनिंग दल ■ 70,000 कृषि औजार स्टार्टर पैक्स **कार्यक्रम जारी**
39	73	जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है, मई, 2009 के अंतिम सप्ताह में आए पश्चिम बंगाल के तट पर आए भीषण *चक्रवात आइला* से सड़कों, घरों और आधारभूत संरचना को भारी नुकसान पहुंचा। आपदा राहत निधि (सीआरएफ) से जहाँ तुरन्त अन्तरिम राहत उपलब्ध करायी गयी, वहीं क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण का कार्यक्रम भी तैयार करना प्रस्तावित है। इस प्रयोजनार्थ, मैं 1,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : जल संसाधन मंत्रालय)	पश्चिम बंगाल में चक्रवात "आइला" द्वारा क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन के बजाय, यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकारों को बाढ़ प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत सुंदरवन क्षेत्र में तटबंधों और समुद्री बांधों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के पश्चात, कार्य योजना के मुताबिक चरणबद्ध ढंग से जारी की जाएगी। इसके बाद जल संसाधन मंत्रालय के तकनीकी सलाहकार समिति का अनुमोदन तथा योजना आयोग से निवेश स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। **कार्य प्रगति पर**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
40	80	जैसा कि सदन को ज्ञात है, इस सरकार के पिछले कार्यकाल सहित, विगत कुछ वर्षों के दौरान सुधारों का जोर हमारी कर प्रणाली की कार्यक्षमता और साम्या में सुधार लाने पर रहा है। कर ढांचे की विसंगतियों को दूर करके, कराधान के संतुलित स्तर लागू करके और कराधार का विस्तार करके इसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इन नीतिगत परिवर्तनों के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए, स्वचालन प्रणाली अपनाने सहित प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं की वांछित री-इंजिनीयरिंग की गई है। प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में, कार्यक्षमता में और अधिक सुधार लाने के लिए हाल ही में बेंगलुरू में एक केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग सेन्टर (सीपीसी) की स्थापना करने की पहल की गई है। इस केद्र में इलेक्ट्रोनिक रूप से दाखिल की गई सभी विवरणियों और सम्पूर्ण कर्नाटक में दाखिल की गई कागज़ी विवरणियों पर कार्रवाई की जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग)	केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र, बेंगलुरु ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक राज्य में इलेक्ट्रानिक रूप से दायर सभी विवरणियों और कागजी विवरणियों पर वहां कार्रवाई की जा रही है। **कार्रवाई पूर्ण**
41	82	इस बजट को तैयार करने की अवधि में, मुझे बड़ी संख्या में पण्यधारियों (स्टेकहोल्डरों) से संवाद करने और उनसे बहुमूल्य विचार प्राप्त करने का अवसर मिला। अधिकांश सुझाव कर प्रणाली में ढांचागत परिवर्तनों के संबंध में थे। सभी सुधारों की तरह, कर सुधार एक प्रक्रिया है, न कि एक घटना। अतः मैं प्रत्यक्ष करों के संबध में आगामी 45 दिन के भीतर नया प्रत्यक्ष कर कोड जारी करके और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में, 1 अप्रैल 2010 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की सुचारू शुरूआत करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर ढांचागत परिवर्तनों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग)	नई प्रत्यक्ष कर संहिता 12 अगस्त, 2009 को जारी की गई है। वस्तु एवं सेवा कर संबंधी मामले का विवरण, पैरा 85 में दिया गया है । **कार्रवाई पूर्ण**
42	83	प्रत्यक्ष कर कोड, एक परिचर्चा दस्तावेज सहित, आम जनता में बहस के लिए जारी किया जाएगा। प्राप्त विचारों के आधार पर, सरकार प्रत्यक्ष कर कोड विधेयक को अन्तिम रूप देगी ताकि उसे शीतकालीन अधिवेशन के दौरान किसी समय इस सदन में प्रस्तुत किया जा सके। (नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग)	नई प्रत्यक्ष कर संहिता 12 अगस्त 2009 को जारी की गई। स्टेक-होल्डरों के साथ बातचीत चल रही है। प्रधान मंत्री को स्थिति प्रस्तुत की गई। वित्त मंत्री ने आदेश दिया है कि मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। **कार्य प्रगति पर**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
43	84	कर प्रशासन की कार्यक्षमता और अधिक बढ़ाने के लिए, मेरा संगत अधिनियमों में संशोधन करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संबंधी अग्रिम विनिर्णय के दो प्राधिकरणों का विलय करने का इरादा है। इससे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245-ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अप्रत्यक्ष करों के लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के रूप में भी कार्य कर सकेगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग)	अधिसूचना संख्या 142/ सीमाशुल्क (एनटी) तारीख 14.9.2009 और अधिसूचना संख्या 143/सीमाशुल्क (एनटी) तारीख 15.9.2009 के द्वारा अपेक्षित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। **कार्रवाई पूर्ण**
44	85	मुझे बताया गया है कि राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने वस्तु एवं सेवा कर की कार्ययोजना और संरचना तैयार करने में काफी प्रगति की है। केद्र सरकार के अधिकारियों को भी इस कवायद में सहयोजित किया गया है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अपने मिले-जुले प्रयासों से वे संविधान में प्रतिष्ठापित राजकोषीय संघीय व्यवस्था के सिद्धान्तों के अनुरूप इसके मूल ढांचे पर एक सहमति पर पहुंच चुके हैं। मैं राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति का उनके अथक प्रयासों के लिए अभिनन्दन करता हूं। वस्तु एवं सेवा कर माडल की मोटे तौर पर रूपरेखा यह है कि यह एक दोहरा वस्तु एवं सेवा कर होगा, जिसमें एक केद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और एक राज्य वस्तु एवं सेवा कर शामिल होगा। केद्र और राज्य क्रमशः केद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के संबध में कानून बनाएंगे, उग्रहण करेंगें और उन्हें प्रशासित करेंगे। मैं सभी पण्यधारियों के साथ विधिवत परामर्श के बाद 1 अप्रैल 2010 तक वस्तु एवं सेवाकर लागू करने को सुविधाजनक बनाने हेतु केद्र सरकार की उप्रेरक भूमिका को और सशक्त बनाऊँगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग)	सशक्त समिति ने वस्तु एवं सेवा कर मॉडल की पुनर्परीक्षा शुरू कर दी है जिससे कि भारत सरकार द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को उपयुक्त रूप से समाविष्ट किया जा सके। सशक्त समिति ने राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अधिकारियों से बने तीन उप कार्य दल गठित किए गए हैं। ये एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरण किए जाने वाले संसाधनों, उक्त के लिए आरम्भिक सीमा निर्धारित करने, जिसके लिए वस्तु एवं सेवा कर के अधीन पंजीकरण आवश्यक होगा तथा छूट प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं आदि की सूची जैसे विवरण तैयार करेंगे। इन उप कार्य दलों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं, जो इस समय सशक्त समिति के विचाराधीन हैं। भारत सरकार ने अपर सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में एक कार्य दल गठित किया है, जो अपेक्षित संवैधानिक एवं अन्य सांविधिक परिवर्तनों का सुझाव देगा। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए, पहली अप्रैल, 2010 की निर्धारित तिथि को नहीं बदला गया है। वस्तु एवं सेवा कर संबंधी पहला विचार-विमर्श दस्तावेज सशक्त समिति द्वारा 10 नवंबर, 2009 को जारी किया गया है। **कार्य प्रगति पर**
45	135	जुलाई, 2008 में माल परिवहन एजेन्ट (जीटीए) अनेक मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए थे। माल परिवहन एजेन्टों को मार्ग में प्रदान की जाने वाली पैकिंग कार्गो की धराई-उतराई, भांडागारण जैसी कतिपय सेवाओं के संबंध में छूट की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रयोजन के लिए छूट संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। माल परिवहन एजेन्टों द्वारा यह भी माँग की गई थी कि ऐसे सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध पहले से शुरू की गई कार्रवाइयों को छोड़ दिया जाए। सरकार ने इस उचित माँग को स्वीकार कर लिया है। अतः मैं इस वायदे को पूरा करने के लिए अपेक्षित कतिपय विधायी परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभाग : राजस्व विभाग)	वित्त अधिनियम (संख्या 2) के 19.8.2009 को अधिनियमित हो जाने से, माल परिवहन एजेंटों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में जारी छूट वाली अधिसूचना को पूर्वव्यापी तारीख अर्थात 1.1.2005 से प्रभावी किया गया है। **कार्रवाई पूर्ण**